न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 9/23

GCMS NO 2023/32

मुकेश सैनी पुत्र श्रीपाल सैनी निवासी भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. पीरू तेली पुत्र रोशन तेली निवासी बस स्टेड लाल बाजार भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
2. जगदीश पुत्र राजाराम माली निवासी बस स्टेड लाल बाजार भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 33/22 निर्णय दिनांक 21.12.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, चौथ का बरवाडा)

अभिभाषक अपीला0 श्री श्रीदास सिह

अभिभाषक रैस्पो0 श्री अब्दुल बहाव

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

दिनांक 13.11.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 21.12.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, चौथ का बरवाडा पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0न0 1234 रकबा 0.34 है0 बारानी 1 हिस्सा 5/21 का खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजीयात से अप्रार्थीगणो का किसी प्रकार का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध वास्ता नही है। अप्रार्थीगण बदमाश किस्म के व्यक्ति है आये दिन झगडे फसाद करते रहते है तथा प्रार्थी की आराजीयात पर कब्जा करने के उद्वेश्य से नाजायज गिरोह बना रखा है। दिनांक 30.8.22 को प्रार्थी अपना खेत जोतने गये तो अप्रार्थीगण अपने साथ कुछ बदमाशो को लेकर हाथो मे लाठियां गंडासिया लेकर खेत पर आये तथा प्रार्थी के साथ गाली गलौच की और मारने की धमकी देकर खेत पर अवेध निर्माण करने पर आमादा हो गये। प्रार्थी को खेत की जुताई नही करने दी। अतः आराजी ख0न0 1234 रकबा 0.34 है0 बारानी 1 हिस्सा 5/21 प्रार्थी की खातेदारी बाबत अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थी की कब्जे काश्त की आराजी पर अप्रार्थीगण किसी प्रकार मजाहमत मदालखत न तो स्वयं करे ना ही अन्य किसी से करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया। उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस अपील पर सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:58:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी ख0न0 1234 रकबा 0.34 है0 बारानी 1 हिस्सा 5/21 की खातेदारी अपीलांट के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। जिसका एक मात्र स्वामी है। उक्त आराजीयात से रेस्पो0 का कोई सबंध नही है। जमाबंदी मे हिस्सा दर्ज है। इस तथ्य को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया है। रेस्पो0 बदमाश किस्म के व्यक्ति है आये दिन लोगो से झगडा फसाद करते है। अपीलांट शांत प्रिय व्यक्ति है। अपीलार्थी की जमीन को जबरन हडपने पर आमादा है। रेस्पो0 स्वच्छ हाथो से अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुए है। रेस्पो0 अपीलांट के हिस्से पर कब्जा करने पर आमादा है। अपीलांट के पक्ष मे प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दु पृथम दृष्टया होने के उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे झूठी एवं मनगढन्त बाते अंकित की है। रेस्पो0 द्वारा किसी प्रकार की कोई धमकी अपीलांट को नही दी गई ना ही किसी प्रकार से विवादित आराजीयात पर कब्जा करने की कोशिश की गई। केवल मात्र रेस्पो0 को नाजायज रूप से हेरान परेशान करने के उद्वेश्य ये वाद पत्र एवं अप्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया है। अपीलांट द्वारा 21.12.22 को शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश कर पत्रावली को बिना रेस्पो0 को सूचना दिये पेश किया गया है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण मे अपीलांट को किसी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति नही होने के कारण प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो विधि अनुरूप है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायहित मे प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जिसकी अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा मे पेश की गई है। जो खारिज योग्य है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात ख0न0 1234 रकबा 0.34 है0 बारानी 1 हिस्सा 5/21 की खातेदारी अपीलांट के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने का तथ्य अंकित करते हुए प्रार्थी/अपीलांट द्वारा रेस्पो0 द्वारा अपीलांट की भूमि से बेदखल करने एवं जबरन कब्जा करने का कारण अंकित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर आगामी पेशी दिनांक 18.10.22 व 7.22.22 तथा 18.1.23 नियत की गई। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का होना व्यक्त [illegible] सुनवाई किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना [illegible] सुनवाई स्वीकार किया जाकर अपीलांट/प्रार्थी की बहस अस्थाई नि[illegible] जाकर प्रकरण का दिनांक 21.12.22 को अंतिम निस्तारण कर दिया [illegible] परिपेक्ष्य मे अधिनस्थ्य न्यायालय को चाहिए था कि अप्रार्थीगण/रेस्पो0 से प्रकरण मे जबाब [illegible]त किया जाकर उभयपक्ष को सुना

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:58:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

जाकर प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ पर विवेचन किये जाने के उपरान्त ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपूर्ण निर्णय की श्रेणी मे आता है। अतः प्रकरण उभयपक्ष को सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतःअपील रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के मुकदमा न0 33/22 मे पारित निर्णय दिनांक 21.12.22 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि अनुरूप निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:38:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner